न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 28 / 2013

1 बोदूराम उम्र 45 साल
2 कुरड़ाराम उम्र 33 साल
3 रूपाराम उम्र 30 साल
4 लक्ष्मण उम्र 40 साल पुत्रगण स्व. भोलूराम
5 सुरजी बेवा स्व. भोलूराम उम्र 75 साल समस्त जाति माली निवासीगण ढाणी जमनावाली तन राधाकिशनपुरा, सीकर तहसील व जिला सीकर राज. ।

अपीलांटस

बनाम

1 सुरेश कुमार सैनी पुत्र श्री राधेश्याम सैनी जाति माली निवासी ढाणी जमनावाली तन राधाकिशनपुरा, सीकर तहसील व जिला सीकर राज.।
2 तुलसीराम पुत्र जवाहराराम जाति माली निवासी ढाणी जमनावाली तन राधाकिशनपुरा, सीकर तहसील व जिला सीकर राज.।
3 महावीर पुत्र भोलूराम जाति माली निवासी ढाणी जमनावाली तन राधाकिशनपुरा, सीकर तहसील व जिला सीकर राज.।
4 गोम देवी पत्नी श्री सीताराम कुमावत जाति कुमावत निवासी अजबपुरा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर राज.।
5 राजेश सैनी पुत्र श्री घीसाराम जाति माली निवासी वार्ड 38 राधाकिशनपुरा सीकर तहसील व जिला सीकर।
6 सीताराम पुत्र श्री हीरालाल सैनी जाति माली निवासी संगीत महल अपार्टमेन्ट रामलीला मैदान के पास सीकर तहसील व जिला सीकर राज. ।
7 महावीर पुत्र लिछमण जाति जाट निवासी अलसीसर तहसील व जिला झुन्झुनूं।
8 तहसीलदार तहसील सीकर जिला सीकर राज.।

रेस्पोडेन्टस

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 20.12.2012 न्यायालय
उपखण्ड अधिकारी सीकर दावा वाद संख्या 201/2012
बउनवानी बोदूराम आदि बनाम सुरेश कुमार आदि पीठा.
अधिकारी बनवारी लाल बासनीवाल आरएएस

अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी • सीकर •

उपस्थिति :

1. श्री दीनानाथ शर्मा, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री दिनेश कुमार सैनी, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

–निर्णय–

दिनांकः– 22/5/26

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर द्वारा मुकदमा नम्बर 201/2012 में पारित निर्णय दिनांक 20.12.2012 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादीगण अपीलान्टस ने एक वाद सीमा विनिश्चयकरूप एवं स्थायी निषेधाज्ञा प्रसारणार्थ अन्तर्गत धारा 82(क) आरटीएक्ट, 188 आर.टी.एक्ट तथा धारा 111 भू–राजस्व अधिनियम बाबत भूमि खसरा नम्बर 685, 884, 883 वाके ग्राम राधाकिशनपुरा का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद अन्तर्गत धारा 11 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 1/रेस्पोडेन्टस संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत आवेदन दिनांक 03.10.2012 अ. धारा 11 सीपीसी स्वीकार करके भारी कानूनी भुल की है कानूनी प्रावधानों के अनुसार धारा 11

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

सीपीसी में वाद पत्र निरस्त किये जाने का प्रावधान नहीं है बल्कि धारा 11 सीपीसी के प्रावधान का विनिश्चिम प्रतिवादी पक्ष द्वारा जवाब दावा दिये जाने के उपरान्त विवाद्यक तय किया जाकर ही संभव है जबकि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया था तथा अन्य प्रतिवादीगण की तामील होना शेष था इसलिये रेस ज्यूडिकेश के प्रावधान को तय किय जाने के लिए विवाद्यक पत्रावली में कायम नहीं किये जा सके इस कारण धारा 11 सीपीसी के तहत बना तनकीयात कायम किये वादीगण का वाद निरस्त करना गंभीर कानूनी त्रुटि है इसलिए इसी आधार पर ही विचारण न्यायालय का विचाराधीन निर्णय अपास्त होने योग्य है। जहां तक वादी का वाद रेस ज्यूडिकेश के सिद्धान्त से प्रभावित होने का प्रश्न है तो तथ्यात्मक स्थिति निम्न प्रकार है कि :– (अ) पूर्ववर्ती वाद संख्या 346/1992 व उनवानी मालाराम बनाम गुरूदयाल आदि में जो अनुतोष चाहा गया था वह बाबत बंटवारा व उद्घोषणा हेतु चाहा गया था जबकि वादीगण/अपीलान्टस का हस्तगत वाद सीमा विनिश्चियकरण व स्थाई निषेधाज्ञा प्रसारणार्थ धारा 111 भू–राज. अधि. तथा धारा 92(क), 188 आर. टी.एक्ट के तहत प्रस्तुत किया गया था। (ब) पूर्ववर्ती वाद के अनुतोष में वादी ने जिस वादग्रस्त सम्पदा के संबंध में अनुतोष चाहा था वे अपीलान्टस/वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद की वादग्रस्त सम्पदाओं से भिन्न है इस कारण हस्तगत वाद ही विवादित विषय (विवादित आराजी) पूर्वीवर्ती वाद से भिन्न है। (स) पूर्ववर्तीवाद के पक्षकारान व हस्तगत वाद के पक्षकारान भी भिन्न–भिन्न है इसलिए प्रतिवादी/रेस्पोडेन्टस का प्रार्थना पत्र अर्थात धारा–11 सीपीसी वादीगण/अपीलान्टस के वाद पर प्रभावी रूप से लागू नहीं होने के कारण खारिज होने योग्य था परन्तु विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय विधि विरूद्ध पारित कर कानूनी भुल की है जो अपास्त होने योग्य है। धारा–11 सीपीसी को तय किये जाने के लिए प्रतिवादी/रेस्पोडेन्ट की ओर से ऐसा कोई तथ्य उल्लेखित नहीं किये गये जो पूर्ववर्ती वाद की कौनसी तनकी तय की जा चुकी है जो वर्तमान

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

हस्तगत वाद की तनकी से समान हो, विधिनुसार पूर्ववर्तीवाद की तनकी व हस्तगत वाद की तनकी समान होने पर ही साथ ही समान पक्षकार व समान वादास्पद सम्पदा होने समान अनुतोष होने पर ही धारा 11 सीपीसी के प्रावधान लागु होते है जहां तक पूर्ववर्ती वाद का प्रश्न है वह वाद तनकीयात कायम करके विनिश्चित नहीं किया गया था बल्कि राजीनामें के आधार पर निस्तारित किया गया था। इस कारण अपीलान्टस/वादीगण का वाद जहां तक राजीनामें का प्रश्न है वह उन्हीं पक्षकारों पर लागू होता है जिनके द्वारा राजीनामा पर हस्ताक्षर किये गये हो परन्तु राजीनामें पर वादीगण/अपीलान्टस के हस्ताक्षर राजीनामा पर नहीं थे, इसलिए विचारण न्यायालय ने राजीनामें होने के कारण पूर्ववर्तीवाद को वादीगण/अपीलान्टस पर लागु मानकर जो विचाराधीन आदेश पारित किया गया है वह विधि विरूद्ध है वैसे भी राजीनामा दस्तावेज साक्ष्य के दौरान ही प्रदर्शित किया जाकर गुणावगुण पर ही विनिश्चय किया जा सकता था इस कारण विचारण न्यायालय का विचाराधीन निर्णय अपास्त होने योग्य है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में वादीगण अपीलान्टस ने एक वाद सीमा विनिश्चयकरूप एवं स्थायी निषेधाज्ञा प्रसारणार्थ अन्तर्गत धारा 82(क) आरटीएक्ट, 188 आर.टी.एक्ट तथा धारा 111 भू–राजस्व अधिनियम बाबत भूमि खसरा नम्बर 685, 884, 883 वाके ग्राम राधाकिशनपुरा का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद अन्तर्गत धारा 11 सिविल प्रकिया संहिता के तहत खारिज कर दिया। विचारण न्यायालय की पत्रावली से स्पष्ट होता है कि पूर्व में उक्त कृषि भूमि में बंटवारा व उदघोषणा हेतु वाद पेश होने पर वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य सहमति व राजीनामा के आधार पर प्रारम्भिक डिक्री होकर फाईनल डिक्री जारी हो चुकी है तथा सभी खातेदारों की सहमति से अलग अलग खातेदारी भी दर्ज हो गई थी। इस प्रकार पूर्व में प्रस्तुत किए गए वाद में समान पक्षकार होने व समान विषय व विवादित तथ्य समान होने के कारण वाद पत्र धारा 11 सीपीसी के अनुसार रेसज्यूडीकेटा की श्रेणी में आना पाया गया। ऐसी स्थिति में

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी • सीकर •

विचारण न्यायालय ने वाद वादी खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में वादीगण अपीलान्टस ने एक वाद सीमा विनिश्चयकरूप एवं स्थायी निषेधाज्ञा प्रसारणार्थ अन्तर्गत धारा 82(क) आरटीएक्ट, 188 आर. टी.एक्ट तथा धारा 111 भू–राजस्व अधिनियम बाबत भूमि खसरा नम्बर 685, 884, 883 वाके ग्राम राधाकिशनपुरा का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद अन्तर्गत धारा 11 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत खारिज कर दिया।

प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 1/रेस्पोडेन्टस संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत आवेदन दिनांक 03.10.2012 अ. धारा 11 सीपीसी स्वीकार करके विधिक त्रुटि की है विधिक प्रावधानों के अनुसार धारा 11 सीपीसी में वाद पत्र निरस्त किये जाने का प्रावधान नहीं है बल्कि धारा 11 सीपीसी के प्रावधानों का विनिश्चिय प्रतिवादी पक्ष द्वारा जवाब दावा दिये जाने के उपरान्त विवाद्यक तय किया जाकर ही किया जाना संभव है।

प्रस्तुत प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया था तथा अन्य प्रतिवादीगण की तामील होना शेष था इसलिये रेस ज्यूडिकेटा के प्रावधान को तय किये जाने के लिए विवाद्यक पत्रावली में कायम नहीं किये जा सके इस कारण धारा 11 सीपीसी के तहत बिना तनकीयात कायम किये वादीगण का वाद निरस्त कर विधिक त्रुटि की है।

जहां तक वादी का वाद रेस ज्यूडिकेटा के सिद्धान्त से प्रभावित होने का प्रश्न है तो तथ्यात्मक स्थिति निम्न प्रकार है कि :–

(अ) पूर्ववर्ती वाद संख्या 346/1992 व उनवानी मालाराम बनाम गुरूदयाल आदि में जो अनुतोष चाहा गया था वह बाबत बंटवारा व उद्घोषणा हेतु चाहा गया था जबकि वादीगण/अपीलान्टस का हस्तगत

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

वाद सीमा विनिश्चियकरण व स्थाई निषेधाज्ञा प्रसारणार्थ धारा 111 भू–राज. अधि. तथा धारा 92(क), 188 आर.टी.एक्ट के तहत प्रस्तुत किया गया था।

(ब) पूर्ववर्ती वाद के अनुतोष में वादी ने जिस वादग्रस्त सम्पदा के संबंध में अनुतोष चाहा था वे अपीलान्टस/वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद की वादग्रस्त सम्पदाओं से भिन्न है इस कारण हस्तगत वाद ही विवादित विषय (विवादित आराजी) पूर्वीवर्ती वाद से भिन्न है।

(स) पूर्ववर्तीवाद के पक्षकारान व हस्तगत वाद के पक्षकारान भी भिन्न–भिन्न है इसलिए प्रतिवादी/रेस्पोडेन्टस का प्रार्थना पत्र अर्थात धारा–11 सीपीसी वादीगण/अपीलान्टस के वाद पर प्रभावी रूप से लागू नहीं होने के कारण खारिज होने योग्य था परन्तु विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय विधि विरूद्ध पारित कर विधिक त्रुटि की है।

विधिनुसार पूर्ववर्तीवाद की तनकी व हस्तगत वाद की तनकी समान होने पर ही साथ ही समान पक्षकार व समान वादास्पद सम्पदा होने समान अनुतोष होने पर ही धारा 11 सीपीसी के प्रावधान लागु होते है जहां तक पूर्ववर्ती वाद का प्रश्न है वह वाद तनकीयात कायम करके विनिश्चित नहीं किया गया था बल्कि राजीनामें के आधार पर निस्तारित किया गया था। इस कारण अपीलान्टस/वादीगण का वाद जहां तक राजीनामें का प्रश्न है वह उन्हीं पक्षकारों पर लागू होता है जिनके द्वारा राजीनामा पर हस्ताक्षर किये गये हो परन्तु राजीनामें पर वादीगण/अपीलान्टस के हस्ताक्षर राजीनामा पर नहीं थे, इसलिए विचारण न्यायालय ने राजीनामें होने के कारण पूर्ववर्तीवाद को वादीगण/अपीलान्टस पर लागु मानकर जो विचाराधीन आदेश पारित किया गया है वह विधि विरूद्ध है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में समस्त पक्षकारों का जवाब दावा प्राप्त कर, तनकी कायम कर, साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनाक 30.06.2026 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 22/5/26 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर